संख्या-139/2020/2839/26-3-2020

प्रेषक,

भगवती,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0शासन

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 29 अक्टूबर, 2020

विषय:-अतिपिछड़े अनुसूचित जाति समूह बाहुल्य ग्रामों के सर्वांगीण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदों के विकास कार्यो की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, समाज कल्याण के पत्रांक संख्या-1290/स0क0/ विकास/विभिन्न जनपद/2019-20 दिनांक-09.10.2019, पत्रांक संख्या-779/स0क0/ विकास/एकीकृत(157)/2019-20 दिनांक-23.07.2019 एवं पत्रांक संख्या-3123/स0क0/विकास/सिद्धार्थनगर/2018-19 दिनांक-28.03.2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति समूह बाहुल्य ग्रामों के सर्वांगीण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण, सी0सी0 रोड इत्यादि कार्यो हेतु आंकलित कुल धनराशि रू0-**6186.06** लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में कुल धनराशि **रू0-1237.212 लाख (रू0 बारह करोड़ सैतीस लाख इक्कीस हजार दो सौ मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

**(धनराशि लाख रू0 में)**

| क्र स | जनपद का नाम | विकासखण्ड का नाम | ग्राम का नाम | कार्य का नाम | कुल लागत | अवमुक्त धनराशि | द्वितीय किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | देवरिया | सलेमपुर | मकरौली | इण्टरलाकिंग/नाली निर्माण | 70.20 | 9.74 | 14.04 |
| 2 | गोरखपुर | जंगल कौडिया | भीटी तिवारी | इण्टरलाकिंग/नाली निर्माण | 59.76 | 9.74 | 11.952 |
| 3 | सिद्धार्थनगर | खुनियांव | खुरहर बंदी | सी0सी0रोड़ | 124.44 | 9.74 | 24.888 |
| 4 | गोरखुपर | सहजनवा एवं पाली | भीमपार | इण्टरलाकिंग नाली निर्माण, सी0सी0रोड़ एवं नाला निर्माण, पिच रोड़ | 392.05 | 9.74 | 78.41 |
| | | | डोहरियाकला | इण्टरलाकिंग नाली निर्माण, सी0सी0रोड़ एवं नाला निर्माण, पिच रोड़ | 467.87 | 9.74 | 93.574 |
| 5 | देवरिया | बैतालपुर | बढ़या | इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली | 70.45 | 9.74 | 14.09 |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | निर्माण | | | |
| 6 | सिद्धार्थनगर | बर्डपुर | शिवपुर | इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण | 17.26 | 9.74 | 3.452 |
| 7 | बाराबंकी | हैदरगढ़ | संसारा | इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण | 194.51 | 9.74 | 38.902 |
| 8 | सिद्धार्थनगर | बर्डपुर | पकडी दीगर | इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण | 26.26 | 9.74 | 5.252 |
| 9 | महराजगंज | मिठौरा | पकड़ी बुजुर्ग | सी0सी0रोड एवं इण्टरलाकिंग | 112.92 | 9.74 | 22.584 |
| 10 | बाराबंकी | फतेहपुर | मझगंवा | इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण | 212.68 | 9.74 | 42.536 |
| 11 | बस्ती | कुदरहा | बैडरी एहतमाली | इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण | 314.82 | 9.74 | 62.964 |
| | | | दोफड़ा | इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण | 133.47 | 9.74 | 26.694 |
| 12 | सिद्धार्थनगर | खुनियांव | उड़वलिया | सी0सी0रोड़ | 64.95 | 9.74 | 12.99 |
| 13 | कुशीनगर | रामकोला | पकड़ी बांगर | इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य | 93.15 | 9.74 | 18.63 |
| 14 | देवरिया | भलुआनी | बरडही नथमल | इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य | 79.08 | 9.74 | 15.816 |
| 15 | बलरामपुर | श्रीदत्तगंज | मनियरिया | सा0मिटटी, इण्टरलाकिंग, नाली साईट बोर्ड | 14.17 | 9.74 | 2.834 |
| 16 | प्रतापगढ़ | सदर | महकनी | इन्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण | 10.48 | 9.74 | 2.096 |
| 17 | बस्ती | सांउघाट | खझौला | इन्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण | 119.36 | 9.74 | 23.872 |
| 18 | गोरखपुर | पिपरौली | रमपुर मलौली | इन्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण | 492.76 | 9.74 | 98.552 |
| 19 | देवरिया | भागलपुर | देवकली | इण्टरलाकिंग रोड़ सामुदायिक भवन का निर्माण, पक्की नाली निर्माण इण्डिया मार्का हैण्डपम्प निर्माण | 90.58 | 9.74 | 18.116 |
| 20 | गोण्डा | इटियाथोक | पूरेदत्ता | इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण | 47.64 | 9.74 | 9.528 |
| 21 | गोण्डा | परसपुर | सालपुर पाठक | रबरमोल्ड इण्टरलाकिंग नाली ड्रेन का निर्माण | 116.00 | 9.74 | 23.2 |
| 22 | कुशीनगर | पडरौना | सुसवलिया | इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण | 66.52 | 9.74 | 13.304 |
| 23 | सिद्धार्थनगर | शोहरतगढ़ | बूढ़पार | नाली निर्माण एवं इण्टरलाकिंग, सड़क निर्माण | 41.66 | 9.74 | 8.332 |
| 24 | कुशीनगर | कप्तानगंज | तवक्कलपुर | इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण | 87.02 | 9.74 | 17.404 |
| 25 | प्रतापगढ़ | सदर | लोहंगपुर | इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण | 195.87 | 9.74 | 39.174 |
| 26 | महाराजगंज | निचलौल | बढयामुस्तकिम | पिच रोड़ इण्टरलाकिंग एवं पुलिया निर्माण कार्य | 208.39 | 9.74 | 41.678 |
| 27 | गोण्डा | छपिया | ढढौवा | रबर मोल्डिंग इण्टरलाकिंग | 56.85 | 9.74 | 11.37 |
| 28 | गोण्डा | रूपईडीह | पठखौली | इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण | 54.86 | 9.74 | 10.972 |
| 29 | गोण्डा | कटरा बाजार | पूरे बहोरी | रबर मोल्डिंग, इण्टरलाकिंग, टाईल द्वारा निर्मित सम्पर्क मार्ग | 47.00 | 9.74 | 9.4 |
| 30 | गोण्डा | तरबगंज | महरमपुर | रबर मोल्डिंग, इण्टरलाकिंग, टाईल द्वारा निर्मित सम्पर्क मार्ग | 26.65 | 9.74 | 5.33 |
| 31 | गोण्डा | झंझरी | सेनीकपूर | इण्टरलाकिंग नाली निर्माण | 55.65 | 9.74 | 11.13 |
| 32 | बलरामपुर | हैरया सतघरवा | तुरकौलिया | इण्टरलाकिंग का कार्य | 25.06 | 9.74 | 5.012 |
| 33 | सन्तकबीरनगर | पौली | पारा हारगोविन्द | इण्टरलाकिंग तथा नाली निर्माण | 97.38 | 9.74 | 19.476 |
| 34 | कुशीनगर | सुकरौली | अवरवा | इण्टरलाकिंग | 210.06 | 9.74 | 42.012 |
| 35 | मऊ | परदहा | ताजोपुर | इण्टरलाकिंग तथा नाली निर्माण | 183.59 | 9.74 | 36.718 |
| 36 | मऊ | परदहा | इमलियाडीह | इण्टरलाकिंग तथा नाली निर्माण | 134.36 | 9.74 | 26.872 |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | सिद्धार्थनगर | नौगढ़ | सिंहरोवा | सी0सी0रोड एवं नाली निर्माण | 91.15 | 49.575 | 18.23 |
| 38 | सिद्धार्थनगर | नौगढ़ | महुवा फतुहवा | सी0सी0रोड एवं नाली निर्माण | 99.48 | 49.74 | 19.896 |
| 39 | सिद्धार्थनगर | लोटन | धरमौली | सी0सी0रोड एवं नाली निर्माण | 99.47 | 49.735 | 19.894 |
| 40 | सिद्धार्थनगर | लोटन | भरमी | सी0सी0रोड एवं नाली निर्माण | 99.106 | 49.553 | 19.8212 |
| 41 | सिद्धार्थनगर | लोटन | सपही | सी0सी0रोड एवं नाली निर्माण | 99.39 | 49.695 | 19.878 |
| 42 | सिद्धार्थनगर | जोगिया | हरनी बुजुर्ग | सी0सी0रोड एवं नाली निर्माण | 99.14 | 49.57 | 19.828 |
| 43 | सिद्धार्थनगर | जोगिया | पटखौली | सी0सी0रोड एवं नाली निर्माण | 99.37 | 49.685 | 19.874 |
| 44 | सिद्धार्थनगर | जोगिया | बडगो | सी0सी0रोड एवं नाली निर्माण | 99.27 | 49.635 | 19.854 |
| 45 | सिद्धार्थनगर | जोगिया | पेडारी | सी0सी0रोड एवं नाली निर्माण | 99.27 | 49.635 | 19.854 |
| 46 | सिद्धार्थनगर | उसका बाजार | बगही | सी0सी0रोड एवं नाली निर्माण | 98.714 | 49.357 | 19.7428 |
| 47 | सिद्धार्थनगर | उसका बाजार | दैजौली | सी0सी0रोड एवं नाली निर्माण | 99.29 | 49.645 | 19.858 |
| 48 | सिद्धार्थनगर | उसका बाजार | परसहामहापात्र | सी0सी0रोड एवं नाली निर्माण | 98.59 | 49.295 | 19.718 |
| 49 | सिद्धार्थनगर | डुमरियागंज | अन्दुवा | सी0सी0रोड एवं नाली निर्माण | 59.39 | 34.695 | 11.878 |
| 50 | सिद्धार्थनगर | डुमरियागंज | सेखुईया | सी0सी0रोड एवं नाली निर्माण | 128.65 | 64.325 | 25.73 |
| | | | | **योग-** | **6186.06** | **1064.26** | **1237.212** |

(1)- निदेशक, समाज कल्याण द्वारा कार्यदायी संस्था, उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0 (यू0पी0सी0एल0डी0एफ0) लखनऊ से शीघ्र एम0ओ0यू0 अनुबन्ध कराकर धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था को दी जायेगी, जिसका अधिष्ठान व्यय वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुसार ही लिया जायेगा। कार्यदायी संस्था को धनराशि प्राप्त होने के तुरन्त बाद शीघ्र निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। प्रायोजना के निर्माण में बिना समुचित कारण के यदि अनावश्यक रूप से विलम्ब होने से लागत में वृद्धि होती है तो इसके लिये निर्माण एजेन्सी उत्तरदायी होगी।

(2)- स्वीकृत धनराशि को आहरित करके पी0एल0ए0 अथवा बैंक/डाकघर में नही रखी जायेगी। उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उन्हीं कार्यो/मदो पर किया जायेगा जिसके लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता होगी जिसके लिए संबंधित कार्यदायी संस्था के महाप्रबन्धक उत्तरदायी होंगे।

(3)- स्वीकृत धनराशि से आनुपातिक रूप में निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने के उपरान्त जिलाधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन कराकर फोटोग्राफ्स की हस्ताक्षरित/ प्रमाणित प्रति शासन/निदेशालय को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रश्नगत निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं मात्राओं के संबंध में कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(4)- संबंधित जिलाधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त कार्य की पुनरावृत्ति/ द्विरावृत्ति हेतु यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है।

(5)- उक्त निर्माण/विकास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था द्वारा महाप्रबन्धक/जिलाधिकारी के माध्यम से उपभोग प्रमाण पत्र एवं कार्य की भौतिक प्रगति की सूचना नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(6)- आगणन में वर्णित लेबर शेष की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7)- कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन की यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(8)- उक्त् धनराशि का भुगतान वित्त् विभाग के शासनादेश दिनांक-29-09-2020 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार 20 प्रतिशत की दर से किया जा रहा है। अवशेष धनराशि का भुगतान शासन द्वारा धनराशि की उपलब्धता के आधार पर बाद में किया जायेगा।

(9)- प्रश्नगत कार्यों में शासनादेश संख्या-1178/26-3-2020 दिनांक-12-05-2020 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-83 के योजनान्तर्गत लेखाशीर्षक-4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-10-अतिपिछड़े अनुसूचित जाति समूहों के लिए एकीकृत विकास योजना-1003-सम्पर्क मार्ग का निर्माण-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक-24 मार्च 2020 एवं शासनादेश दिनांक-29.09.2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

भगवती
संयुक्त सचिव

पृ0सं0-139 /2020/ 2839 (1)/26-3-2020-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।

2-निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा विभाग, उ0प्र0इलाहाबाद।

3-मुख्य कोषाकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0लखनऊ।

4- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0 (यू0पी0सी0एल0डी0एफ0) लखनऊ।

5-सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

6-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।

7-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनु सचिव

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।